मण्डल/विद्युत कंपनी द्वारा वर्ष 2008–09 में की गई कर्मचारी कल्याणकारी गतिविधियॉ

गैर अंशदायी सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

(अ) मण्डल द्वारा दिनांक 11–09–2008 से गैर अंशदायी सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी के अन्तर्गत मण्डल अधिकारियों/कर्मचारियों को दुर्घटनावश मृत्यु होने पर बीमा राशि रू॰ 5,00,000/– का भुगतान किया जाता है, वर्ष 2008–09 के लिए मेसर्स ओरिएण्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी, भिलाई को प्रीमियम के रूप में मण्डल द्वारा रू॰ 73,73,625/– (रूपये तिहत्तर लाख तिहत्तर हजार छः सौ पच्चीस मात्र), का भुगतान किया गया। अप्रेल 2008 से दिसंबर तक 08 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रूपये 32,00,000/– तथा जनवरी 2009 से मार्च 2009 तक 08 मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रूपये 32,00,000/– का भुगतान किया गया।

(ब) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कम्पनियों द्वारा इसी प्रकार अंशदायी सामूहिक/व्यक्तिगत दुर्घटना/बचत बीमा योजना का भी प्रावधान रखा गया है, जिसमें कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा प्रति माह निर्धारित अंशदान किया जाता है, जिसका भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा कर्मचारी को सेवानिवृत्ति/मृत्यु होने पर की जाती है।

...